UPGK010050132026

न्यायालयः जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।

सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या–265/2026

आर्य शिक्षा सभा बनाम विजय कुमार श्रीवास्तव वगैरह

दिनांकः 21.07.2026

यह अन्तरण प्रार्थना–पत्र 4 ग सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा– 24 के अन्तर्गत आवेदक की ओर से मूल वाद सं०–769/2019 आर्य शिक्षा सभा बनाम विजय कुमार श्रीवास्तव वगैरह की पत्रावली, जो प्रशासनिक आदेश से अपर सिविल जज (सी0डि0), कोर्ट सं0–1, गोरखपुर के न्यायालय में विचाराधीन है, को प्रार्थना–पत्र में वर्णित आधारों पर किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अन्तरण प्रार्थना–पत्र 4 ग मय शपथ–पत्र में आवेदक का मुख्य रूप से यह कथन है कि सिविल जज (जू0डि0) गोरखपुर के न्यायालय की पीठासीन अधिकारी के मातृत्व अवकाश पर होने के कारण उक्त मुकदमे में कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

अन्तरण प्रार्थना–पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 4 ग स्वीकार किया जाता है। मूल वाद सं०–769/2019 आर्य शिक्षा सभा बनाम विजय कुमार श्रीवास्तव की पत्रावली को अपर सिविल जज (सी०डि०), कोर्ट सं0–1, गोरखपुर के न्यायालय से वापस लेकर विधि अनुसार निस्तारण हेतु अपर सिविल जज (सी०डि०) कोर्ट सं0–03, गोरखपुर के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

(राज कुमार सिंह)
जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code–UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.07.21 16:07:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court